बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5763578 / पटना, दिनांक 15.06.26

ग्रा0वि0-6-बजट/05-04/2026

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-42 के अंतर्गत जीविका सम्पोषित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के मानदेय को दोगुना किये जाने के अंतर्गत मूल उपबंधित राशि रू0 73500.00 लाख (सात अरब पैंतीस करोड़) में से बजट उपबंधित राशि का 33 प्रतिशत अर्थात राशि रू0 24255.00 लाख (दो अरब बयालीस करोड़ पचपन लाख) के आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5753143 दिनांक-12.06.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5753143 दिनांक-12.06.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-42 के अंतर्गत जीविका सम्पोषित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के मानदेय को दोगुना किये जाने के अंतर्गत मूल उपबंधित राशि रू0 73500.00 लाख (सात अरब पैंतीस करोड़) में से बजट उपबंधित राशि का 33 प्रतिशत अर्थात राशि रू0 24255.00 लाख (दो अरब बयालीस करोड़ पचपन लाख) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि रू0 24255.00 लाख (दो अरब बयालीस करोड़ पचपन लाख) का आवंटन जीविका को किया जाता है ।

2. आवंटित राशि की निकासी विभागीय माँग सं०-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02 समाज कल्याण लघुशीर्ष-103-महिला कल्याण, उप शीर्ष-0004-महिला सशक्तिकरण, विषय शीर्ष-3104- सहायक अनुदान- वेतन, विपत्र कोड 42-2235021030004 (3104) के अंतर्गत विकलनीय है।

3. राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5753143 दिनांक-12.06.2026 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि के अंतर्गत किया जाता है ।

4. अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8593 वि0(2) दिनांक-27.11.2007 में निहित प्रावधान के अंतर्गत की जायेगी।

5. अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना कुल स्वीकृत राशि रू0 24255.00 लाख (दो अरब बयालीस करोड़ पचपन लाख) की निकासी कर जीविका के पत्रांक-BRLPS/Accts/425/16/Vol.-V/2717 दिनांक-06.10.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाता Bihar Rural Livelihoods Promotion Society-Additional Honorarium Account, ICICI Bank, खाता सं0-625901146711, IFSC Code-ICIC0006259, Shahi Bhawan, Exhibition Road, Patna-800001 में जमा कर देंगे।

6. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना इस राशि की निकासी कर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना एवं इस विभाग को उपलब्ध कराऐंगे।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी ।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

15.6.26

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5763578 पटना, दिनांक 15.06.26

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.6.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5763578 पटना, दिनांक 15.06.26

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.6.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5763578 पटना, दिनांक 15.06.26

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS–सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना / आई0टी0मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) /विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.6.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5763578 पटना, दिनांक 15.06.26

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

15.6.26

सरकार के संयुक्त सचिव